प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन एवं उपाध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में दिनांक 27.03.2014 को सम्पन्न उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) की संचालन समिति की सप्तम बैठक का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति की सप्तम बैठक प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन एवं उपाध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में दिनांक 27.03.2014 को मुख्य सचिव सभागार, सचिवालय, देहरादून में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित सदस्यों/अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

1	श्री एस0 रामास्वामी, प्रमुख सचिव, नियोजन	अध्यक्ष
2	श्री एस0एस0 शर्मा, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड	सदस्य
3	श्री सोबरन लाल, वन संरक्षक, (प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत के प्रतिनिधि)	सदस्य
4	श्री एस0एस0 शर्मा, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक	सदस्य
5	श्री एस0टी0एस0 लेप्चा, अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन	सदस्य
6	श्री वी0के0 सिंह, सहायक वन संरक्षक (अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के प्रतिनिधि)	सदस्य
7	डॉ0 योगेश गैरोला (अपर प्रमुख वन संरक्षक–केन्द्रीय, भारत सरकार के प्रतिनिधि)	सदस्य
8	सुश्री ज्योत्सना सितलिंग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा	सदस्य–सचिव

सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक आरम्भ की गई।

कार्यसूची 7.1: संचालन समिति की षष्ठम बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या :

दिनांक 15.10.2013 को सम्पन्न हुई उत्तराखण्ड कैम्पा की षष्ठम बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुपालन आख्या का प्रस्तुतीकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अनुपालन को समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची 7.2: कैम्पा निधि के अंतर्गत वर्ष 2013–14 के APO के सापेक्ष प्रगति :

सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अंतर्गत वर्ष 2013–14 का रु० 10640.00 लाख का संशोधित APO स्वीकृत है। उक्त स्वीकृत APO में CAT Plan घटक के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि रु० 1770.00 लाख को CAT Plans की DPR माह अक्टूबर, 2013 में तैयार होने के क्रम में प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं ने रु० 633.00 लाख व्यय करने की अनुमति प्रदान की गई है। इस प्रकार प्रभावी संशोधित APO 2013–14 रु० 9505.00 लाख का है जिसके अंतर्गत समस्त कार्यान्वयन अभिकरणों/वन प्रभागों को वर्तमान तक अवमुक्त धनराशि रु० 8201.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय उपलब्धि रु० 5684.00 लाख हो चुकी है शेष प्रगति की प्रविष्टि कैम्पा के MIS में किया जाना प्रगति पर है।

समिति के अध्यक्ष महोदय द्वारा कैट प्लान्स की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया एवं कहा गया कि कैट प्लान्स का कार्य समयबद्ध है एवं यदि कैट प्लान्स का समयान्तर्गत क्रियान्वयन नहीं होता है तो सम्बन्धित जिम्मेदार प्रभागीय वनाधिकारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। उक्त के क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 2013 में कैट प्लान के अंतर्गत व्यय न की जा सकी धनराशि रु० 1137.00 लाख की धनराशि जो वर्ष 2014–15 की वार्षिक कार्ययोजना में समायोजित की गई है, के बारे में यह

निर्देश दिया गया कि उक्त रु. 1137.00 लाख को CAT Plans की स्वीकृत कार्यमदों में माह जून, 2014 तक समयबद्ध रूप से व्यय करने हेतु प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं के स्तर से कार्ययोजना बनाकर प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन के समक्ष 20 अप्रैल, 2014 तक प्रस्तुत की जाए।

इसी प्रकार बन्दर बाड़ों हेतु प्राविधानित रु. 200.00 लाख की व्यय न की जा सकी धनराशि के बारे में अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्देश दिए गए कि बन्दरों से समस्याग्रस्त क्षेत्रों से सम्बन्धित वन प्रभागों में बन्दर बाड़ों के निर्माण की कार्ययोजना बनाकर समयबद्ध रूप से 30 सितम्बर, 2014 तक निर्माण कर लिया जाए। इस हेतु वार्षिक कार्ययोजना 2014–15 में रु. 200.00 लाख की धनराशि का प्राविधान बाड़ों के संचालन व्यय सहित कर लिया जाए।

(कार्यवाही : प्रमुख वन संरक्षक–उत्तराखण्ड, प्रमुख वन संरक्षक– परियोजनाएं)

समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि कैम्पा निधि के कार्यों की प्रगति का आकलन स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष किया जाए।

(कार्यवाही : मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा)

<u>कार्यसूची 7.3</u>: कैम्पा निधि के अंतर्गत प्रस्तावित APO 2014–15 का अनुमोदन :

सदस्यगणों के समक्ष कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित **रु. 11654.00** लाख की धनराशि का APO 2014–15 प्रस्तुत किया गया,

संचालन समिति द्वारा विचारोपरान्त उपरोक्त के अतिरिक्त मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में विभिन्न कार्यों हेतु Contingencies में रु. 200.00 लाख एवं वन्य प्राणी राहत केन्द्र निर्माण तथा परिचालन व्यय हेतु रु. 200.00 का प्राविधान किया गया जिसका समिति द्वारा अनुमोदन किया गया। इस प्रकार कुल रु. 12054.0C लाख की वार्षिक कार्ययोजना 2014–15 का अनुमोदन संचालन समिति द्वारा किया गया, जिसका घटकवार विवरण निम्नानुसार है :–

(धनराशि लाख रु. में)

1 NPV घटक	2 क्षतिपूरक वृक्षारोपण	3 सरक्षित क्षेत्र	4 अन्य (Others)	5 CAT Plan	कुल योग
64,09.92	13,99.90	246.18	19,98.00	20,00.00	120,54.00

उपरोक्त घटकवार प्रस्तावित धनराशि का उप–घटकवार व जोनवार विवरण निम्नानुसार है :–

घटक का नाम	गढ़वाल जोन	कुमांऊ जोन	वन्य जीव जोन	प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचा.	अन्य स्तर **	प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.NPV								
(i)वन/वन्य जीव रक्षक चौकी	1,50.00	1,20.00	90.00	–	–	–	–	3,60.00
(ii)रेंजों हेतु वाहन (कुल 60 वाहन	–	–	–	–	–	3,60.00	–	3,60.00
(iii) राजाजी पार्क हेतु	–	–	4,42.00	–	–	–	–	4,42.00
(iv) मूल्यांकन व अनुश्रवण	–	–	–	–	–	–	2,20.00	2,20.00
(v) कन्टीजेन्सी	–	–	–	–	–	5,00.00	–	5,00.00
vi) ऑपरेशनल व्यय	26.00	20,00	12.00	–	–	2,00.00	–	2,58.00
(vii) वन पंचायतों का सुदृढ़ीकरण	3,90.00	3,60.00	–	50.00	–	25.00 (कार्यशाला)	–	8,25.00
(viii) जोन स्तर से प्रभागों को नियोजन हेतु	12,46.46	9,00.00	2,00.00	–	–	–	–	2346.46
(ix) अन्य स्तरों हेतु**	–	–	1,50.00 (वन्य जीव गणना इत्यादि)	–	5,48.46	400.00 (मृदा एवं जल संरक्षण हेतु)	–	10,98..46
योग **NPV**	1,812.46	14,00.00	10,94.00	50.00	5,48.46	12,85.00	2,20.00	64,09.92
2.क्षतिपूरक वनीकरण **(CA)**	8,29.55	4,68.00	50.00	–	–	26.35 (Contingency)	26.00	13,99.90
योग **CA**	8,29.55	4,68.00	50.00	–	–	26.35	26.00	13,99.90
3. संरक्षित क्षेत्र								
अस्कोट	–	–	1,24.86	–	–	–	–	1,24.86
गंगोत्री	–	–	1,21.32	–	–	–	–	1,21.32
योग	–	–	2,46.18	–	–	–	–	2,46.18
4. Others								
(i) वृक्षारोपण	8,54.42	2,21.10	–	–	–	21.50	21.50	11,18.52
(ii)रिवर ट्रेनिंग	1,25.00	6,97.94	–	–	–	28.54	28.00	8,79.48
योग Others	9,79.42	9,19.04	–	–	–	50.04	49.50	19,98.00
5. CAT Plan								
5.1 तपो.–विष्णु. + PMU	6,74.89	–	48.85	–	3,21.65	18.20	18.20	10,81.79
5.2 लाता–तपोवन		–	2,53.24	–		5.09	5.09	2,63.42
5.3 सिंगोली–भटवाड़ी	1,80.78	–		–	–	3.64	3.64	1,88.06
5.4 फाटा–ब्यूंग	53.97	–	75.37	–	–	4.07	4.07	1,37.48
5.5 श्रीनगर HEP	3,14.27	–		–	–	7.39	7.59	3,29.25
योग **CAT Plan**	12,23.91	–	3,77.45	–	3,21.65	38.39	38.59	20,00.00
कुल योग	4845.34	27,87.04	17,67.64	50.00	8,70.11	13,99.78	334.09	120,54.00

उपरोक्त तालिका के स्तम्भ–6 पर उल्लिखित अन्य स्तरों ** हेतु NPV घटक के अंतर्गत वार्षिक कार्ययोजना 2014–15 हेतु प्रस्तावित धनराशि का विवरण निम्नानुसार है :–

NPV की तालिका 1.a में प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं कार्यालय में PMU हेतु	14.46 लाख
NPV की तालिका 1.a में नोडल अधिकारी कार्यालय में Support to PMU हेतु	6.00 लाख
NPV की तालिका 1.a व 1.e में नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन कार्यालय हेतु	6.00 लाख
NPV की तालिका 1.e में बांस एवं रेशा विकास परिषद हेतु	58.00 लाख
NPV की तालिका 1.e में मुख्य वन संरक्षक, प्रचार–प्रसार हेतु	35.00 लाख
NPV की तालिका 1.b में जैव विविधता बोर्ड	32.00 लाख
NPV की तालिका 1.e व 1.a में क्रमशः Revision of Working Plans व अन्य कार्यों के लिए अपर प्रमुख वन संरक्षक, कार्ययोजना हेतु	20.00 लाख
NPV की तालिका 1.e में मुख्य वन संरक्षक, NTFP के स्तर पर बैनावोलेन्ट फण्ड हेतु	112.00 लाख
NPV की तालिका 1.e में Automation of Department and strengthening of IT cell के लिए मुख्य वन संरक्षक, आई.टी. हेतु	50.00 लाख
NPV की तालिका 1.a में प्रशिक्षण व अन्य कार्यों के लिए मानव संसाधन विकास कार्यालय हेतु	35.00 लाख
NPV की तालिका 1.a में प्रशिक्षण व अन्य कार्यों के लिए वानिकी प्रशिक्षण अकादमी हेतु	50.00 लाख
NPV की तालिका 1.e में वन अनुसन्धान (सिल्वा साल एवं हिल) हेतु	120.00 लाख
NPV घटक में Operational Expenses मद में वन संरक्षक व मुख्य वन संरक्षक स्तर हेतु	10.00 लाख
प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं कार्यालय में CAT Plan हेतु Amount for Planning	321.65 लाख
योग :–	870.11 लाख

<u>कार्यसूची 7.4:</u> उत्तराखण्ड कैम्पा में प्रबन्धक–वित्त, प्रशासन एवं संसाधन प्रबन्धन के पद को उच्चीकृत कर उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद सृजन की स्वीकृति तथा प्रबन्धक–मूल्यांकन एवं अनुश्रवण व ऑडिट को–ऑर्डिनेटर के पद को समाप्त करने के सम्बन्ध में:–

समिति को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा के सुचारु संचालन के लिए वर्तमान में संचालन समिति से प्रबन्धक/अधिकारी स्तर के स्वीकृत 7 पदों पर कार्मिक कार्यरत हैं। इन पदों में प्रबन्धक–वित्त, प्रशासन एवं संसाधन प्रबन्धन (वेतन बैण्ड–3 रु. 15600–39100+ग्रेड वेतन रु. 6600/–) के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिक के स्थानान्तरण के फलस्वरूप उक्त पद रिक्त हो गया है। कैम्पा कार्यालय के वर्तमान स्थिति के कार्यों एवं दायित्वों की चुनौतियों के मद्देनजर प्रबन्धक–वित्त, प्रशासन एवं संसाधन प्रबन्धन (वेतन बैण्ड–3 रु. 15600–39100+ग्रेड वेतन रु. 6600/–) के पद को उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद, वेतन बैण्ड–4–रु. 37400–67000 + ग्रेड वेतन रु. 8900/– में उच्चीकृत कर इस पद के सृजन की सैद्धान्तिक सहमति दिनांक 03.03.2014 को अध्यक्ष–संचालन समिति से ली जा चुकी है। उक्त सहमति हेतु प्रस्तुत की गई पत्रावली में प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा के द्वारा optimum required staff may be kept in the office अंकित किया गया है। उक्त के क्रम में उत्तराखण्ड कैम्पा में मूल्यांकन एवं अनुश्रवण की स्थापित स्वतन्त्र प्रणाली के मद्देनजर प्रबन्धक–मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के पद को समाप्त करने तथा लेखाधिकारी के पद पर संविदा पर कार्मिक को रख लिए जाने के क्रम में ऑडिट को–ऑर्डिनेटर के पद को भी समाप्त

करने हेतु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति के द्वारा दिनांक 26.02.2014 को निर्देशित किया गया है।

समिति को यह भी अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा हेतु उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 की अधिसूचना सं॰ **1922/x-2-2012-7(6)/2004 टी.सी.** दिनांक 08.11.2012 के बिन्दु सं॰ 17. (1) पर उल्लेख है कि **"प्राधिकरण के सुचारु संचालन हेतु आवश्यकतानुसार संचालन समिति नये पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान कर सकती है"** उपरोक्त के आलोक में समिति द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा के सुचारु संचालन के लिए प्रबन्धक–वित्त, प्रशासन एवं संसाधन प्रबन्धन (वेतन बैण्ड–3 रु॰ 15600–39100+ग्रेड वेतन रु॰ 6600/–) के पद को उच्चीकृत कर उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद के रूप में वेतन बैण्ड–4–रु॰ 37400–67000 + ग्रेड वेतन रु॰ 8900/– में प्रतिनियुक्ति से भरे जाने हेतु **उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद के सृजन की स्वीकृति** तथा **प्रबन्धक–मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के पद एवं ऑडिट को–ऑर्डिनेटर** के पदों को समाप्त करने की स्वीकृति एवं अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही : मुख्य कार्यकारी अधिकारी–उत्तराखण्ड कैम्पा)

कार्यसूची 7.5: वन पंचायतों के चुनाव के सम्बन्ध में:

समिति को अवगत कराया गया कि वन पंचायत नियमावली, 2005 में वन पंचायतों की चयनित कार्यकारिणी का कार्यकाल 5 वर्ष है तथा 5 वर्ष के बाद कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाने का प्राविधान है।

इस क्रम में यह भी अवगत कराया गया कि प्रदेश में 12089 वन पंचायतें हैं। उक्त वन पंचायतों में से 50 है0 से अधिक क्षेत्रफल वाली वन पंचायतों में वृक्षारोपण आदि कार्यों को कैम्पा निधि से कराये जाने हेतु निर्णय संचालन समिति की दिनांक 16.05.2011 की बैठक में लिया गया है।

उपरोक्त के क्रम में समिति के संज्ञान में लाया गया कि अधिकांश वन पंचायतों का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। वन पंचायतों के साथ कार्य के लिए वन पंचायतों का चुनाव आवश्यक है। अतः इस सम्बन्ध में राजस्व विभाग को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु वन विभाग स्तर पर पत्राचार एवं अनुश्रवण किया जाय। तब तक वन पंचायत नियमावली, 2005 के **नियम संख्या– 45** के तहत कार्य किया जाय।

(कार्यवाही : प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत)

कार्यसूची 7.6: अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दु:

7.6.1 समिति द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी के वन विभाग की समीक्षा बैठक दिनांक 12.02.2014 एवं 21.02. 2014 के कार्यवृत्त पत्रांक–664/2014 दिनांक 11.03.2014 को संज्ञान में लिया गया। समिति द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में निम्नवत कार्यवाही किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया :–

दिनांक 12.02.2014

(बिन्दु सं0–2)

वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में अनुमानित एन0पी0वी0 तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि अग्रिम रूप से जमा करते हुए भारत सरकार से सीधे स्वीकृति की ही मांग की जाय।

उक्त के सम्बन्ध में भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की राशि का एकमुश्त भुगतान बैंक खातों में जमा कर दिया जाता है। यह धनराशि किस प्रयोजन हेतु जमा की गई है, का प्रयोजनवार विवरण उपलब्ध न होने के कारण वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब होता है। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि नोडल अधिकारी कार्यालय प्रेषित धनराशि का सत्यापन एडहॉक कैम्पा से कराकर

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार को सत्यापन की सूचना माह अप्रैल, 2014 के अन्त तक उपलब्ध कराएं।

(कार्यवाही : नोडल अधिकारी–वन संरक्षण)

(बिन्दु सं0–7)

- उत्तराखण्ड के विभिन्न नालों व गदेरों में लघु बांधों एवं जल कुण्डों का निर्माण कर वन क्षेत्रों में वन्यजीवों हेतु पानी की उपलब्धतता बढ़ाई जाए।

(बिन्दु सं0–8)

- मोटर मार्गों के कलवर्ट तथा अन्य प्रकार से बहते हुए पानी को वन क्षेत्रों में बनाये जाने वाले जल कुण्डों की ओर दिशान्तरित करें। इस प्रकार बने जल कुण्डों के आस–पास बांस रोपण भी किया जाए। इन कार्यों हेतु जायका प्रोजेक्ट, भारत सरकार के बांस मिशन, कैम्पा, मनरेगा आदि से धनराशि प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

समिति को अवगत कराया गया कि उपरोक्त कार्यों हेतु कार्यकारी समिति द्वारा वर्ष 2014–15 की वार्षिक कार्ययोजना में रु. 500.00 लाख का प्राविधान इस शर्त के साथ किया गया है कि उपरोक्त धनराशि का उपयोग कैम्पा के 10 वर्षीय प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों में संरक्षित क्षेत्र के मैनेजमेन्ट प्लान एवं आरक्षित वन क्षेत्रों की कार्ययोजना (वर्किंग प्लान) में निहित प्राविधान के अनुसार ही किया जाएगा।

(कार्यवाही : प्रमुख वन संरक्षक–वन्य जीव, प्रमुख वन संरक्षक–वन पंचायत, प्रमुख वन संरक्षक–परियोजनाएं, मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल व कुमांऊ तथा समस्त सम्बन्धित वन संरक्षक व कार्यान्वयन अभिकरण/वन प्रभाग)

(बिन्दु सं0–9)

अकृषित नाप खेतों, बंजर भूमि व वन पंचायतों में बांस एवं अन्य चारा प्रजातियों के रोपण हेतु एक Incentive Scheme बनाई जाए, जिसके तहत अग्रिम मृदा कार्य करने एवं रोपण हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जाए तथा तीन वर्ष पश्चात जीवितता प्रतिशत के आधार पर अनुरक्षण हेतु इन्सेन्टिव के रूप में धनराशि संबंधित भू–स्वामियों व वन पंचायतों को दी जायेगी। यह हरियाली की बढ़ोत्तरी के साथ–साथ चारे की उपलब्धतता बढ़ानें एवं मानव–वन्यजीव संघर्ष कम करने में मददगार होगी।

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि कैम्पा की वार्षिक कार्ययोजना के उपघटक payment for ecological services हेतु इस प्रकार की धनराशि का प्राविधान किया जा सकता है। यह प्राविधान वन विभाग के स्तर पर Frame work विकसित होने पर किया जा सकेगा। इस प्रकार की गतिविधियों का अभिसरण मनरेगा, जायका आदि योजनाओं से किया जायेगा। इस पर प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

(कार्यवाही : प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड)

दिनांक 21.02.2014

(बिन्दु सं0–4)

बन्दरों के शहरी क्षेत्रों की ओर रूख कम करने हेतु वन क्षेत्रों में वन्य फल प्रजातियों जैसे काफल, मेहल, बेडू, तिमला, पांगर, हिंसालू आदि का रोपण युद्ध स्तर पर किया जाए जिसके लिए महिला नर्सरी, किसान नर्सरी के माध्यम से व्यापक पैमाने पर पौधे उगाये जायें। मैदानी क्षेत्रों में आम की वन्य किस्मों का रोपण किया जाए।

प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के अंतर्गत वन्य फलदार वृक्ष लगाए जाने के निर्देश दिए गये।

इस सम्बन्ध में सदस्य–सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि क्षतिपूरक वनीकरण के अंतर्गत 30 प्रतिशत फलदार वृक्षों का रोपण कैम्पा के माध्यम से किए जाने का प्राविधान किया जा रहा है। इस पर अध्यक्ष–संचालन समिति तथा अन्य सदस्यगणों द्वारा Site Specific Plan के आधार पर प्रभागों को शहतूत, काफल, तिमला आदि के वृक्षों के रोपण के निर्देश दिये जानेपर ध्यान आकर्षित किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि लगभग 12 लाख फलदार प्रजातियों की पौध तैयार करने हेतु रु॰ लगभग 50.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

(कार्यवाही : सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, वन संरक्षक

एवं मुख्य वन संरक्षक)

<u>(बिन्दु सं0–6)</u>

वन आधारित लघु उद्योग जैसे पिरूल से कोयला बनाना, पिरूल से बिजली बनाना, धूप उद्योग आदि हेतु निःशुल्क बिजली तथा समस्त करों से छूट प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को शीघ्र प्रेषित किया जाए।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल स्रोतों का पुनरोद्धार, चीड़ पत्ती संग्रहण एवं उसके विविध प्रयोग तथा दूरसंचार सुविधाओं का प्राविधान व ईको–टूरिज्म प्रकृति की गतिविधियों को प्रतिबन्धित किया गया है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से इस प्रकार के प्रतिबन्ध न लगाए जाने का अनुरोध किया जा चुका है। परन्तु उक्त अनुरोध भारत सरकार की नेशनल कैम्पा एडवाइजरी कमेटी के स्तर पर विचाराधीन है।

प्रमुख सचिव, वन द्वारा निर्देश दिए गए कि भारत सरकार द्वारा कैम्पा निधि से किए जाने वाले जिन क्रियाकलापों में प्रतिबन्ध लगाया गया है, के सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री जी एवं मा0 मंत्री–वन एवं वन्य जीव के स्तर से भारत सरकार के मा0 मंत्री–वन एवं पर्यावरण को पत्र प्रेषित किए जाएं। प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्देशित किया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड इस सम्बन्ध में एक ड्राफ्ट नोट तैयार करें। माह अप्रैल, 2014 के द्वितीय सप्ताह में वन महानिरीक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी–एडहॉक कैम्पा से प्रमुख सचिव–वन एवं पर्यावरण, प्रमुख वन संरक्षक–उत्तराखण्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी–उत्तराखण्ड कैम्पा संयुक्त रूप से सम्पर्क कर चर्चा करेंगे।

(कार्यवाही : प्रमुख सचिव–वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, प्रमुख वन संरक्षक–उत्तराखण्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा)

(बिन्दु सं0–8)

वन क्षेत्रों से कुरी की झाड़ी (लैंटाना) एवं काला बांस का उन्मूलन तथा इसके वैकल्पिक उपयोग को बढ़ावा देने हेतु युद्ध स्तर पर उन्मूलन करने हेतु एक विस्तृत कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत की जाए।

समिति को अवगत कराया गया कि संरक्षित एवं आरक्षित क्षेत्र में लैन्टाना झाड़ी एवं काला बांसा उन्मूलन हेतु कमशः रू0 1.00 करोड़ एवं रू0 2.50 करोड़ कुल रू0 3.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस सम्बन्ध में समिति के सदस्य–सचिव द्वारा लैन्टाना उन्मूलित किए जाने वाले स्थान पर चारा प्रजाति की घासों के रोपण की कार्यवाही किए जाने का सुझाव दिया गया। प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा को निर्देशित किया गया कि वे चारा प्रजाति की घासों की उपलब्धता के सम्बन्ध में **दिनांक 20 अप्रैल, 2014** तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।

समिति द्वारा अनुमोदित किया गया कि वार्षिक कार्ययोजना 2014–15 में प्राविधानित धनराशि का उपयोग निर्धारित कार्ययोजना बनाकर किया जाय तथा माह अप्रैल से जून के मध्य लैन्टाना एवं काला बांसा तदोपरान्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा द्वारा चारा प्रजाति (नैपियर घास) के रूट स्टॉक की उपलब्धता पर तैयार रिपोर्ट के आधार पर वर्षाकाल में घास का रोपण कार्य किया जाए। उक्त कार्य स्थल में बाघ प्रकोप से प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता दिये जाने हेतु भी निर्देश दिए गये।

(कार्यवाही : मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा तथा समस्त सम्बन्धित वन संरक्षक व कार्यान्वयन अभिकरण/वन प्रभाग)

(बिन्दु सं0–9)

वन क्षेत्रों से लगे हुए कृषि भूमियों पर जंगली सुअरों से बचाये जाने हेतु मनरेगा के अन्तर्गत सुअर रोधी पत्थर की दीवार बनाये जाने पर विचार किया जाए।

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्ताव किया गया कि मानव–वन्य जीव संघर्ष के अंतर्गत जंगली सुअरों की रोकथाम हेतु Pilot basis पर चमोली जनपद में कतिपय ग्रामों के क्लस्टर का चयन कर सुअर रोधी दीवार निर्माण का मॉडल प्रोजेक्ट कैम्पा निधि के माध्यम से तैयार कर क्रियान्वयन किया जाए। समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त मॉडल का विस्तार मनरेगा के माध्यम से किया जाएगा। अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन द्वारा अवगत कराया गया कि ऐसे सफल प्रयास की piloting टिहरी जनपद के गंगी गांव में की जा चुकी है। मनरेगा में उक्त कार्य के लिए एकमुश्त धनराशि का प्राविधान रखे जाने हेतु प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण द्वारा निर्देशित किया गया कि वन विभाग **दिनांक 20 अप्रैल, 2014** तक आरक्षित, संरक्षित, सिविल तथा पंचायती वनों से लगे समस्याग्रस्त ग्रामों/क्षेत्रों में जंगली सुअर रोधी दीवार बनाये जाने हेतु कुल कार्य का आकलन कर प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण को प्रस्तुत करेंगे।

(कार्यवाही : प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड)

7.6.2 कॉर्बेट टाईगर रिज़र्व के प्रयोगार्थ पोलारिस के ऑल टेरेन वेहिकल का कय प्रोप्राईटरी कम्पनी से सीधे कयं करने हेतु धनराशी आवंटित किया जाए जिसके लिए रू 25.00 लाख का प्राविधान किया जाए।

7.6.3 मा0 मुख्यमैंत्री जी की घोषणा के संबंध में छिद्दरवाला से आशा की प्लोट वन मोटर मार्ग हेतु रू 7 लाख की धनराशी का आवंटन देहरादून वन प्रभाग को किया जाए।

7.6.4 ईको टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपणों का अध्ययन कर इससे क्षतिपूरक वृक्षारोपण की पूर्ति करने तथा वित्तीय संसाधन ईको टास्क फोर्स को उपलब्ध कराने पर विचार किया जाए।

7.6.4 वन विभाग के अधिकारी व फील्ड स्टाफ़ को बड़े अग्नेयास्त्रों से लैस करने हेतु रू 2.00 करोड़ व छोटे अग्नेयास्त्रों हेतु रू 0.50 करोड़ का प्राविधान किया जाए।

7.6.5 कैम्पा का 10 वर्षीय प्रोस्पेक्टीव योजनां का हाल में उत्तरखण्ड में हुई दैवीय आवदा के दृष्टिकोण से पुनरीक्षण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाए।

7.6.6 गुजर पुनर्वास कार्य हेतु रू 5 करोड़ की धनराशी का प्राविधान किया जाए जिसके तहत विभिन्न गुजर पुनर्वास क्षेत्रों में शैचालय निर्माण, गोशालाएँ, चारा फसल बुआन, छात्राओं को वजीफा, आदि हेतु व्यय करने हेतु विस्तृत प्रस्ताव तत्काल प्रेषित किया जाए

सभी सदस्यों के प्रति बैठक में प्रतिभाग करने के लिए अपना बहुमूल्य सुझाव एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सदस्य–सचिव द्वारा धन्यवाद ज्ञापन करने के उपरान्त उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति की सप्तम बैठक सम्पन्न हुई।

(एस० रामास्वामी)
प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन
एवं उपाध्यक्ष,
संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

5 मन्दिर मार्ग, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2761077 ई-मेल: ceoukcampa@gmail.com,
Website : www.ukcampa.org

पत्रांक– 999 /13–2(7)/2013–14 दिनांक, देहरादून, 28/03/2014

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, मा॰ मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा॰ मुख्यमंत्री जी एवं अध्यक्ष–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मा॰ वन मंत्री, उत्तराखण्ड को मा॰ वन मंत्री जी एवं उपाध्यक्ष–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मा॰ वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड को मा॰ वित्त मंत्री जी एवं सदस्य–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, मा॰ नियोजन मंत्री, उत्तराखण्ड को मा॰ नियोजन मंत्री जी एवं सदस्य–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा के अवलोकनार्थ।

(ज्योत्सना सितलिंग)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांकः– 999 (1)/13–2(7)/2013–14 दिनांकित।

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड के अवलोकनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन एवं उपाध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव–नियोजन, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव–वित्त, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
5. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
6. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
7. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
8. अपर प्रमुख वन संरक्षक, केन्द्रीय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (मध्य क्षेत्र), क्षेत्रीय कार्यालय–लखनऊ।
9. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
10. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
11. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
12. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

(ज्योत्सना सितलिंग)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।